न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2021 **दायर तारीख :–** 29-01-2021

1. ग्राम पंचायत किशनपुरा जरिये सचिव कालूराम जाट पुत्र श्री रिछपाल जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर। **— वादी**

बनाम

1. गुल्लाराम (नाम हजब)
2. बन्शीधर

पुत्रान सूखा जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

3. गुलाब देवी
4. सुमन देवी
5. रेखा देवी

पुत्रियान भरताराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

6. रवि
7. विजेन्द्र

पुत्रान भरताराम निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

8. माली देवी पत्नि भरताराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
9. जगदीश
10. रामोतार
11. शिम्भूदयाल
12. सीताराम

पुत्रान बोदूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

13. मीरा देवी पत्नि सूरजकुमार जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
14. राजू पुत्र कालूराम जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
15. गुलाब देवी पत्नि भैरूराम जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
16. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 15
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.03.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 137/0.25 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के नाम, खाता संख्या 101 के हाल खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

134/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम तथा हाल खाता संख्या 147 के हाल आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 0.21 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि उपरोक्त आराजी खातेदारी भूमि वाद को पंचायत भवन निर्माण हेतू जरिये दान पत्र जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीराम यादव से प्राप्त हुई है, जिसका नामान्तकरण ग्राम पंचायत किशनपुरा के नाम भवन प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें हाल खाता संख्या 106 में वादी का हिस्सा 25/119, हाल खाता संख्या 101 में वादी का हिस्सा 1825/5831 तथा हाल खाता संख्या 147 में वादी का हिस्सा 25/119 है। इसी प्रकाहर से प्रतिवेादी संख्या 1 लगायत 15 का हिस्सा भी दर्ज जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त आराजी भूमि को अन्दाजे से हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा में बांटकर अपनी खातेदारी भूमि की काश्त एवं उपयोग करते चले आ रहे हे। किन्तू उक्त वर्णित आराजी भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। यह है कि उक्त वर्णित उक्त आराजी भूमि वादी को पंचायत भवन निर्माण के लिए प्राप्त हुई है, जिसके लिए बाद कानूनी बंटवारा भूमि प्राप्त कर पंचायत भवन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। यह कि प्रतिवादीगण बाजौर ताकतवर एवं पैसों वाले व्यक्ति है जो वादी को उनके हिस्से की भूमि की काश्त व उपयोग–उपभोग नहीं करने देने की तथा बिना बंटवारा करवाये भूमि के विशिष्ट भू–भाग को बेचान करने की धमकी आये दिन देते रहते है। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी को अमल लाते हुए भूमि को काश्त नहीं करने देने एवं खुर्द–बुर्द करने में सफल हो गए तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगा। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 137/0.25 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के नाम, खाता संख्या 101 के हाल खसरा नंबर 134/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम तथा हाल खाता संख्या 147 के हाल आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 0.21 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड जामबंदी बाहमी बंटवारा वादी के हाल खाता संख्या 106 में वादी का हिस्सा 25/119, हाल खाता संख्या 101 में वादी का हिस्सा 1825/5832, हाल खाता संख्या 147 में वादी का हिस्सा 25/119 का पृथक से बंटवारा किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख में किया जावें, नक्शें में तरमीम किया जावें, वादी का पृथक से पर्चा खातेदारी बनाया जावें एवं पृथक से लगान निर्धारण किया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 15 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा खाता संख्या 106 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा खाता संख्या 101 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा खाता संख्या 147 संवत् 2076–2079 आदि पेश किए गये।
4. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 17.02.2021 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 137/0.25 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के नाम, खाता संख्या 101 के हाल खसरा नंबर 134/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के माम तथा हाल खाता संख्या 147 के हाल आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 0.21 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील वादी के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

8. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 684/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पत्नि भैरूराम हिस्सा 457/2500 जाति बलाई सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 226/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 28/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 46/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 138/2500 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार	137/0.25 हैक्टेयर
2	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 700/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 23/2100 जाति	1571/1/0.6250 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 95/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 97/2100 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार	
3	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 391/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 24/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 106/1925 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925	134/0.1925 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
फागी नगर (जयपुर)

	जाति जाट सा. देह खातेदार	
4	मीरा देवी पत्नि सुरज कुमार जाति बलाई सा. देह खातेदार	134/1/0.0475 हैक्टेयर
5	ग्राम पंचायत किशनपुरा (पंचायत भवन) खातेदार	134/2/0.25 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. ग्राम पंचायत किशनपुरा जरिये सचिव कालूराम जाट पुत्र श्री रिछपाल जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर। **— वादी**

बनाम

1. गुल्लाराम (नाम हजब)
2. बन्शीधर

} पुत्रान सूखा जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

3. गुलाब देवी
4. सुमन देवी
5. रेखा देवी

} पुत्रियान भरताराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

6. रवि
7. विजेन्द्र

} पुत्रान भरताराम निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

8. माली देवी पत्नि भरताराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
9. जगदीश
10. रामोतार
11. शिम्भूदयाल
12. सीताराम

} पुत्रान बोदूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

13. मीरा देवी पत्नि सूरजकुमार जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
14. राजू पुत्र कालूराम जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
15. गुलाब देवी पत्नि भैरूराम जाति बलाई निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
16. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 14/2021 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 137/0.25 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के नाम, खाता संख्या 101 के हाल खसरा नंबर 134/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम तथा हाल खाता संख्या 147 के हाल आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 0. 21 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड जामबंदी बाहमी बंटवारा वादी के हाल खाता संख्या 106 में वादी का हिस्सा 25/119, हाल खाता संख्या 101 में वादी का हिस्सा 1825/5832, हाल खाता संख्या 147 में

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

वादी का हिस्सा 25/119 का पृथक से बंटवारा किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेख में किया जावें, नक्शें में तरमीम किया जावें, वादी का पृथक से पर्चा खातेदारी बनाया जावें एवं पृथक से लगान निर्धारण किया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावां डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 684/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पत्नि भैरूराम हिस्सा 457/2500 जाति बलाई सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा '48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 226/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 28/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 46/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 138/2500 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 48/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 227/2500 जाति जाट सा. देह खातेदार	137/0.25 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 700/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 23/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 95/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 97/2100 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 97/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 175/2100 जाति जाट सा. देह खातेदार	1571/1/0.6250 हैक्टेयर
3	गुल्लाराम पिता सुखा हिस्सा 391/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार गुलाब देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार जगदीश पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार बंशीधर पिता सुखा हिस्सा 24/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार माली देवी पत्नि भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार रेखा देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार रवि पुत्र भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार राजू पिता कालूराम हिस्सा 106/1925 जाति बलाई सा. देह खातेदार रामोतार पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार	134/0.1925 हैक्टेयर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	विजेन्द्र पिता भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार शिम्भूदयाल पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार सुमन देवी पुत्री भरताराम हिस्सा 106/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार सीताराम पिता बोदूराम हिस्सा 192/1925 जाति जाट सा. देह खातेदार	
4	मीरा देवी पत्नि सुरज कुमार जाति बलाई सा. देह खातेदार	134/1/0.0475 हैक्टेयर
5	ग्राम पंचायत किशनपुरा (पंचायत भवन) खातेदार	134/2/0.25 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तख़त व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.03.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया,। फीस दर्ज करना चाहिए।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)